GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)
******

No. 2011/TG-I/20/P/JTBS **New Delhi, dated 24.10.2013**

General Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 66 OF 2013)

Sub: Appointment of STBS (Staion Ticket Booking Sewaks) at 'E' category Stations.

At present at 'E' Category stations, Booking Clerks have not been posted at most of the stations and ticket activities are performed by Station Masters (SMs) / Assistant Station Masters (ASMs) who are also performing operational duties. With a view to facilitate Station Managers/ Assistant Station Managers to concentrate better on train operations and also to facilitate, passengers to get tickets it has been decided to appoint Station Ticket Booking Sewaks (STBS) at ' E' Category stations as a pilot project for one year only at those stations where power and connectivity are available. Detailed features of the scheme are enclosed.

2. Zonal Railway should first try to appoint Jansadharan Ticket Booking Sewaks (JTBS) at these locations and in case no suitable response is received, the process of appointment of STBS will be initiated. The efficacy of the scheme should be assessed by Zonal Railways by comparing the sale of tickets and earnings with the corresponding sale and earnings in previous year. The performance of STBS should be reported by Zonal Railways on quarterly basis to enable decision being taken regarding continuation of this scheme or otherwise.

2.1 While working out the requirement of 2nd ASM at any location Zonal Railways should also take into account the reduction in workload of ASM owing to appointment of STBS.

3. Necessary action may be taken to send intimation to all concerned.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Dr. Monica Agnihotri)
Director Passenger Marketing
Railway Board

No. 2011/TG-I/20/P/JTBS **New Delhi, dated .10.2013**

Copy to:-
FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

for Financial Commissioner/Railways

Contd...2/-

Copy to:-

1. CCMs, CCM/PMs and CCM PSs, all Zonal Railways.
2. EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F (C), &V(SS) branches.
3. MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4. General Manager/UTS, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor /Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodra.
6. The Principals, Zonal Training Centres, Central Railway,/Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, S C Railway, Moula Ali, Western Railway, Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow- 226011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsfor Road, New Delhi,
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA) Room No. 256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railway Promotee Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

Date : 21-10-2013

Station Ticket Booking Sewak (STBS) Scheme for 'E' Category of Stations

The scheme is to appoint Station Ticket Booking Sewak (STBS) on commission basis at 'E' category of stations in various parts of important cities for issue of unreserved tickets through Computerised Unreserved Ticketing System (UTS). This should, however, be resorted to if no suitable candidate is found for appointment as Jansadharan Ticket Booking Sewak(JTBS).

1.1 A Maximum of one STBS at 'E' category stations who will be required to disburse unreserved tickets throughout the day (24 hrs).

1.2 Initially STBS will be allowed to install upto three counters based on the sale of tickets and with the approval of Sr. DCM concerned.

1.3 No booking clerk will be posted at those locations where STBS has been appointed.

2. **Selection of Station Ticket Booking Sewaks (STBS):**

(a) The need to appoint STBS shall be assessed by a JAG committee consisting of officers from Commercial, Operating & Accounts Department of the concerned Division.

(b) Applications from eligible persons will be called through newspaper notification asking them to submit their application along with an earnest money of Rs.2000/. Applicant will submit the application along with photograph. One applicant can be appointed as STBS at only one station. While furnishing bid/application, applicant will give a declaration that he/she has not been appointed as STBS at any other station.

(c) The basis of selection of STBS shall be the lowest commission quoted in the slab of more than Rs. 1,00,000/- turnover as indicated in the subsequent paragraph.

(d) The selection of STBS through tender will be done by a committee of 3 Assistant Officers of the Division from Commercial, Finance and Operating Departments.

(e) Sr. DCM will be the accepting authority.

3. **Commission payable:**

Out of the applicants fulfilling the eligibility conditions, the candidate(s) who opts for the least commission (on the 4% commission slab) will be selected for appointment. The commission payable shall be as follows.

Sales Turnover in Rs.	Rate at which Commission Payable
1-15000	15% (minimum ₹ 500/-)
15001-50000	12%
50001-100000	9%
>100000	4%

The commission will be calculated as is being done for Halt contractors (Board's letter no. 99/TG-IV/Halts/Policy dated 08.09.2000).

4. **Qualification:**

(a) The applicant should be a resident of the local Block/Tehsil/Mandal in which the E category station is located where STBS is proposed to be appointed.

(b) The applicant should not be under 18 years of age and should be at least Class-X pass. However, educational qualifications can be relaxed by Sr. DCM if there is no applicant otherwise available.

(c) The applicant should produce a character certificate from District Magistrate/Addl. District Magistrate/ Sub District Magistrate/ Block Development Officer or Tehsildar. The selected applicant will also have to produce a certificate from the police station serving his/her locality that no criminal case is pending against him/her.

(d) A refundable security deposit of Rs. 5000/- & Bank guarantee of Rs. 20,000/- shall be given to the Railway. On completion/termination of contract, pending dues will be adjusted from the Security deposit and balance refunded to STBS.

5. **Procedure:**

i. The cost of hardware and software (including maintenance), electricity and hiring of channel will be borne by the Railways. The space will also be provided to them by the Railways free of cost.

ii. STBS will not sublet/assign or transfer the rights or obligations arising out of the contract. In case of death of licensee, the licence will be transferred to his/her legal heir(s) for the unexpired period of licence by the competent authority.

iii. The STBS will deposit the cash collected through sale of tickets, to Station Master/Assistant Station Master on duty on 8 hourly shift basis prevalent on Indian Railways i.e. at 0600 hours, 1400 hours & 2200 hours.

iv. If the ticket activity stops due to non availability of STBS or negligence of STBS resulting in non-functioning of equipments, a suitable penalty equal to the average daily turnover from sale of UTS tickets at that particular location, subject to a minimum of ₹ 500/- per day may be imposed.

v. Initially, only one STBS will be appointed per 'E' category station. STBS will not sublet/assign or transfer the rights or obligations arising out of the contract. However, if he so desires, he may nominate another person, for which provision will be there in the standard Agreement, with prior approval of the Railway authorities.

vi. Both the STBS and the additional person nominated by him to sell tickets shall be issued a photo identity card by the concerned Division and their name(s) will also be displayed on a notice Board at the station premises.

vii. In case of death of licensee, the licence will be transferred to his/her legal heir(s) for the unexpired period of licence by the competent authority and the legal heir(s) will also be eligible to apply for extension of the license as per the provision of the policy.

viii. The disbursement of unreserved tickets by STBS will be governed by the timings as decided by the concerned Railway, keeping in view the local conditions.

ix. STBS will be authorized to issue cash tickets only. The STBS operator shall be allowed to sell all types of non-concessional unreserved tickets issued through UTS including platform tickets and season tickets. Renewal of season ticket shall also be permitted.

x. The facility of 'NI' (not issued) will be available to the STBS only when authorised/endorsed by the concerned SM/ASM.

xi. Cancellation of ticket: The facility of cancellation of ticket may be extended to STBS only when authorised/endorsed by concerned SM/ASM.

xii. The Railway officer incharge of the station i.e. SM/ASM will be responsible for the safe custody of the ticket rolls and it will be his duty to daily hand over/take over the ticket roll from the STBS. Proper record of ticket rolls issued to the STBS will be maintained at stations.

xiii. Shift summary and daily summary of transaction details done by STBS shall be extracted through UTS and the STBS should deposit the cash accordingly to the Station Master/ASM at the end of the shift/day.

xiv. A consolidated statement of ticket rolls supplied and details of tickets sold by STBS will be submitted by Station Master/Manager or any other nominated officer to DCM/Sr. DCM every month.

xv. Zonal Railways will have powers to prescribe working guidelines within the framework of the scheme.

6. **Checks on Sale of Tickets by STBS:**

Apart from all the prescribed checks for sale of tickets from UTS the following may be ensured:-

(a) Suitable mechanism may be put in place to guard against possibility of any fraud in UTS tickets.

(b) Proper accountal of UTS ticket stationery may be ensured & checked through surprise checks.

(c) A close watch to be kept on the working of STBS and irregularity, if any, to be reported to DCM/Sr. DCM for taking immediate corrective action.

(d) Ticket checking staff of the division to keep a watch on the ticket issued. In case of any irregularity, immediate action to be taken informing all concerned.

(e) Railways may also arrange for checks by Commercial and Accounts staff on the working of the STBS.

7. **Backup arrangements by Railways:-**

Back-up arrangements should be there to take care of unforeseen circumstances such as non-turning up of STBS or unprecedented/seasonal rush where tickets are required to be disbursed by Railway staff. SMs/ASMs posted at such stations should be made conversant with the functioning of UTS by giving them suitable training/refresher course, if required.

8. **Period of Contract:**

Initial period of contract will be for 1 year. An agreement will be executed by STBS with the Railways.

9. **Termination of Contract:**

Each side can terminate the contract without assigning reasons by giving a notice of 10 days.

10. **Appointment of STBS**

Appointment of STBS will not confer any right on the person for employment on Railways. The appointment is purely contractual in nature and no facilities viz. absorption in Railway service, regularization of service, bonus, railway pass facilities etc. shall accrue the STBS.

11. **Arbitration:**

In the event of any dispute, controversy or claim of any kind or nature arising under or in connection with this agreement between the parties standard arbitration clause will be placed in the Agreement.

*****

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

सं. 2011/टीजी-I/20/पी/जेटीबीएस **नई दिल्ली, दिनांक 24.10.2013**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें.

(2013 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 66)

विषय : 'ई' कोटि के स्टेशनों पर एसटीबीएस (स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक) की नियुक्ति.

इस समय 'ई' कोटि के अधिकांश स्टेशनों पर बुकिंग क्लर्क तैनात नहीं किए गए हैं और टिकट संबंधी कार्यकलाप स्टेशन मास्टरों (एसएमएस)/सहायक स्टेशन मास्टरों (एएसएमएस) द्वारा किये जाते हैं, जिन्हें परिचालनिक ड्यूटियों का भी निर्वहन करना होता है. स्टेशन प्रबंधक/सहायक स्टेशन प्रबंधक, गाड़ी परिचालन कार्यों को बेहतर ढंग से निष्पादित कर सकें और यात्री भी सरलता से टिकट प्राप्त कर सकें इस दृष्टि से अब 'ई' कोटि के केवल ऐसे स्टेशनों पर, जहां पॉवर तथा कनेक्टिविटी उपलब्ध हो, एक वर्ष के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में स्टेशन टिकट बुकिंग सेवकों को (एसटीबीएस) नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है. इस स्कीम की ब्यौरेवार विशेषताएं संलग्न हैं.

2. क्षेत्रीय रेलों को पहले इन स्थलों पर जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवकों को (जेटीबीएस) नियुक्त करने का प्रयास करना चाहिए और यदि कोई उपयुक्त प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो एसटीबीएस को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. क्षेत्रीय रेलों द्वारा इस स्कीम की उपयोगिता का आकलन, टिकटों की बिक्री तथा आमदनी का पिछले वर्ष की तदनुरूपी बिक्री तथा आमदनी से तुलना करके किया जाना चाहिए. क्षेत्रीय रेलों द्वारा एसटीबीएस के कार्य-निष्पादन की सूचना त्रैमासिक आधार पर देनी चाहिए ताकि इस स्कीम को जारी रखने या इसे समाप्त करने के बारे में निर्णय लिया जा सके.

2.1 किसी स्थान पर दूसरे एएसएम की आवश्यकता का आँकलन करते समय क्षेत्रीय रेलों को एसटीबीएस की नियुक्ति के कारण एएसएम के कार्यभार में हुई कमी को भी ध्यान में रखना चाहिए.

3. सर्वसंबंधितों को सूचना प्रेषित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए.

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है.

(डॉ. मोनिका अग्निहोत्री)
निदेशक, यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सं. 2011/टीजी-I/20/पी/जेटीबीएस **नई दिल्ली, दिनांक 24.10.2013**

प्रतिलिपि प्रेषित :

वि.स. एवं मु.ले.अ., सभी क्षेत्रीय रेलें, निदेशक,लेखा परीक्षा, सभी क्षेत्रीय रेलें.

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

.....2/-

SELECTION OF STBS

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. सीसीएम, सीसीएम/पीएम तथा सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का. नि. सतर्कता(टी), का. नि. एफ सी, निदेशक एफ (सी), वि. का. अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3. प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
4. महाप्रबंधक/यूटीएस, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनवाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे, मौला अली, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाइपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011.
8. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।
9. महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (फ्रोआ), कमरा नं 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन (इरपोफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71

***

'ई' कोटि के स्टेशनों के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक (एसटीबीएस) स्कीम

यह स्कीम महत्वपूर्ण शहरों के विभिन्न भागों में 'ई' कोटि के स्टेशनों पर कमीशन के आधार पर कंप्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) के माध्यम से अनारक्षित टिकटों को जारी करने से संबंधित है. बहरहाल, इस स्कीम का सहारा तभी लिया जाए, जब जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक (जेटीबीएस) के रूप में नियुक्ति के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो.

1.1 'ई' कोटि के स्टेशनों पर अधिकतम एक एसटीबीएस की आवश्यकता होगी, जिसे दिन भर (24 घंटे) अनारक्षित टिकटों का वितरण करना अपेक्षित होगा.

1.2 संबंधित सीनियर डीसीएम के अनुमोदन से प्रारंभ में एसटीबीएस को टिकटों की बिक्री के आधार पर तीन काउंटरों तक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी.

1.3 उन स्थानों पर किसी बुकिंग क्लर्क को तैनात नहीं किया जाएगा, जहां एसटीबीएस की नियुक्ति की गई हो.

2. **स्टेशन टिकट बुकिंग सेवकों (एसटीबीएस) का चयन** :

(क) एसटीबीएस की नियुक्ति करने की आवश्यकता का आकलन, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें संबंधित मंडल के वाणिज्यिक, परिचालन एवं लेखा विभागों के अधिकारी शामिल होंगे.

(ख) समाचार पत्रों में अधिसूचना जारी करके पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे और उनसे 2000/- रुपए की अग्रदाय राशि के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा. आवेदक फोटोग्राफ के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे. एक आवेदक को एसटीबीएस के रूप में केवल एक स्टेशन पर नियुक्त किया जा सकता है. बिड/आवेदनपत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक यह घोषणा करेगा/करेगी कि उसे किसी अन्य स्टेशन पर एसटीबीएस के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है.

(ग) जैसाकि अनुवर्ती पैराग्राफों में दर्शाया गया है एसटीबीएस के चयन का आधार, 1,00,000/- रुपए से अधिक के टर्नओवर के स्लैब में कोट किया गया न्यूनतम कमीशन होगा.

(घ) मंडल की एक समिति, जिसमें मंडल के वाणिज्यिक, वित्त और परिचालन विभागों से 3 सहायक अधिकारी शामिल होंगे द्वारा निविदा के माध्यम से स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक का चयन किया जाएगा ।

(ङ) सीनियर डीसीएम स्वीकृतिकर्त्ता प्राधिकारी होंगे।

3. **देय कमीशन:**

पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों में से, जो आवेदक न्यूनतम कमीशन (4% कमीशन स्लेब पर) का विकल्प देते हैं, उनका नियुक्ति के लिए चयन किया जाएगा। कमीशन का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा.

बिक्री टर्नओवर रुपयों में	**दर जिस पर कमीशन का भुगतान किया जाएगा**
1-15000	15% (न्यूनतम ₹ 500/-)
15001-50000	12%
50001-100000	9%
>100000	4%

कमीशन का परिकलन वैसे ही किया जाएगा जैसे हाल्ट ठेकेदारों के लिए किया जा रहा है (बोर्ड का दिनांक 08.09.2000 का पत्र सं. 99/टीजी-IV/हाल्टस/पॉलिसी).

4. **अर्हता:**

(क) जिस 'ई' कोटि स्टेशन पर स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक की नियुक्ति करने का प्रस्ताव हो, आवेदक भी उसी स्थानीय ब्लॉक/तहसील/मंडल का निवासी होना चाहिए।

(ख) आवेदक 18 वर्ष से कम की आयु का नहीं होना चाहिए और साथ ही वह दसवीं कक्षा पास होना चाहिए। बहरहाल, यदि कोई अन्य आवेदक उपलब्ध न हो तो सीनियर डीसीएम द्वारा शैक्षणिक अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

(ग) आवेदक को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट/एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट/सब- डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट/ब्लॉक डिवेलपमेंट अधिकारी अथवा तहसीलदार से एक चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। चयनित आवेदक को उसके क्षेत्र के पुलिस स्टेशन से इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

(घ) रेलवे को 5000/- रुपये रिफंडेबल प्रतिभूति निक्षेप एवं 20,000 रुपये की बैंक गारंटी देनी होगी। ठेके के पूरा/टर्मिनेट होने की स्थिति में लंबित देय राशि को प्रतिभूति निक्षेप में से समायोजित किया जाएगा तथा बकाया राशि स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक को लौटा दी जाएगी।

5. **<u>प्रक्रिया:</u>**

i. हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर (रख-रखाब सहित), बिजली तथा चैनलों के किराए पर होने की लागत रेलवे द्वारा वहन की जाएगी। रेलों द्वारा उन्हें स्थान भी मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा।

ii. स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक इस ठेके को आगे सबलेट नहीं करेगा और वह इस ठेके के तहत प्राप्त अधिकारों अथवा दायित्वों को आगे हस्तांतरित नहीं करेगा। लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाने पर, लाइसेंस, सक्षम प्राधिकारी द्वारा शेष अवधि के लिए उसके कानूनी उत्तराधिकारी को ट्रांसफर किया जाएगा।

iii. स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक, टिकटों की बिक्री के माध्यम से प्राप्त हुई राशि को रेलों पर प्रचलित 8 घंटों की शिफ्ट के आधार पर अर्थात् 0600 बजे, 1400 बजे तथा 2200 बजे ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर के पास जमा करवाएगा।

iv. यदि टिकटों की बिक्री, स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक के न होने अथवा स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक की लापरवाही के कारण उपकरणों के काम करना बँदं कर देने के कारण, बाधित होती है तो उस पर उपयुक्त जुर्माना, जो उस विशिष्ट स्थान पर, यूटीएस टिकटों की कुल बिक्री के प्रतिदिन के औसत के बराबर, परन्तु न्यूनतम ₹ 500/- प्रतिदिन के हिसाब से होगा।

v. शुरूआत में, प्रत्येक 'ई' कोटि के स्टेशन पर केवल एक ही स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक की नियुक्ति की जाएगी। स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक इस ठेके को आगे सब-लेट नहीं करेगा और वह इस ठेके के तहत प्राप्त अधिकारों अथवा दायित्वों को आगे हस्तांतरित नहीं करेगा। बहरहाल, यदि वह ऐसा चाहता है तो, वह रेलवे प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर सकता है, जिसके लिए मानक करार में प्रावधान होगा।

vi. संबंधित मंडल द्वारा स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक तथा उसके द्वारा टिकटों की बिक्री के लिए नामित किसी अन्य व्यक्ति, दोनों के लिए एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा तथा उनके नामों को स्टेशन परिसर के नोटिस बोर्ड पर भी दर्शाया जाएगा।

vii. लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में लाइसेंस, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस शेष अवधि के लिए उसके कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और कानूनी उत्तराधिकारी भी नीति के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन देने का पात्र होगा/होंगे।

viii. स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक द्वारा अनारक्षित टिकट का संवितरण स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित रेलवे द्वारा विनिश्चित समय अनुसूची द्वारा शासित होंगे।

ix. स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक केवल कैश टिकट जारी करने के लिए अधिकृत होगा। एसटीबीएस परिचालक को प्लेटफॉर्म टिकटों एवं सीजनल टिकटों के साथ-साथ यूटीएस के माध्यम से जारी किए गए सभी प्रकार के गैर-रियायती टिकट बेचने की अनुमति दी जाएगी। उसे सीज़नल टिकट के नवीकरण की भी अनुमति दी जाएगी।

x. एसटीबीएस के पास 'एनआई' (जारी नहीं) की सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब यह संबंधित एस एम/एएसएम द्वारा अधिकृत/समर्थित हो।

xi. टिकट रद्द करना : एसटीबीएस को टिकट रद्द करने की सुविधा तभी उपलब्ध कराई जाए जब यह एस एम/ए एस एम द्वारा अधिकृत/समर्थित हो।

xii. स्टेशन का प्रभारी रेलवे अधिकारी अर्थात् एस एम/ए एस एम की टिकट रोल्स को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होगी और एसटीबीएस को प्रतिदिन टिकट रोल्स सौंपने/उससे वापस लेने की उनकी ड्यूटी होगी। स्टेशनों पर एसटीबीएस को जारी किए गए टिकट रोल्स का समुचित रिकॉर्ड रखा जाएगा।

xiii. एसटीबीएस द्वारा किए गए लेन-देन से संबंधित शिफ्ट ब्यौरे एवं दैनिक ब्यौरे यूटीएस से लिए जाएंगे और एसटीबीएस को शिफ्ट/दिन के अंत में एस एम/ए एस एम के पास तदनुसार नकद राशि जमा करनी चाहिए।

xiv. एसबीटीएस को दिए गए टिकट रोल्स और उसके द्वारा बेचे गए टिकटों का समेकित विवरण प्रत्येक माह स्टेशन मास्टर/प्रबंधक या किसी अन्य नामित अधिकारी द्वारा मण्डल वाणिज्य प्रबंधक/वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक को प्रस्तुत किया जाएगा।

xv. क्षेत्रीय रेलों के पास इस स्कीम के फ्रेमवर्क के भीतर कार्य से संबंधित दिशानिर्देश निर्धारित करने का अधिकार होगा।

6. **एसटीबीएस द्वारा टिकटों की बिक्री की जांच** :

यूटीएस से टिकटों की बिक्री से संबंधित सभी निर्धारित जांचों के अलावा निम्नलिखित बातें सुनिश्चित की जाएं:

(क) यूटीएस टिकटों में किसी प्रकार की जालसाजी की संभावना को रोकने के लिए उपयुक्त मैकेनिज्म बनाया जाए।

(ख) यूटीएस टिकटों से संबंधित लेखन सामग्री का सही-सही हिसाब रखना सुनिश्चित किया जाए और औचक जांचों द्वारा उसकी जांच की जाएं।

(ग) एसटीबीएस की कार्य प्रणाली पर गहन निगरानी रखी जाए और यदि कोई अनियमितता हो तो तुरंत निवारक उपाय करने के लिए उसकी सूचना डीसीएम/सीनियर डीसीएम को दी जाए।

(घ) मण्डल का टिकट जांच स्टाफ जारी किए गए टिकटों पर निगरानी रखेगा। यदि कोई अनियमितता हो तो उसकी सूचना सभी संबंधितों को देकर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

(ङ) रेलें, एसटीबीएस की कार्यप्रणाली पर वाणिज्य और लेखा विभाग के कर्मचारियों द्वारा जांच की व्यवस्था भी करेंगी।

7. **रेलों द्वारा बैकअप व्यवस्था करना** :-

अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे एसटीबीएस के न आने या अप्रत्याशित/सीज़नल भीड़, जहां रेलवे स्टॉफ द्वारा टिकट जारी करना अपेक्षित हो, की स्थिति को संभालने के लिए बैकअप व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ऐसे स्टेशनों पर तैनात एस एमस/ए एस एमस को उपयुक्त प्रशिक्षण/रिफ्रेशर कोर्स, यदि अपेक्षित हो, देकर दक्ष किया जाना चाहिए।

8. **ठेके की अवधि** :

ठेके की आरंभिक अवधि 1 वर्ष होगी। एसटीबीएस द्वारा रेलवे के साथ एक करार निष्पादित किया जाएगा।

9. **ठेका समाप्त करना:**

प्रत्येक पक्ष बिना कोई कारण बताए 10 दिनों की सूचना देकर ठेका समाप्त कर सकता है।

10. **<u>एसबीटीएस की नियुक्ति</u>**

एसटीबीएस में नियुक्ति उस व्यक्ति को रेलवे में रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। यह नियुक्ति, पूर्णत: संविदागत प्रकृति की है और एसटीबीएस को कोई भी सुविधा जैसे रेल सेवा में समाहन, सेवा का नियमितिकरण, बोनस, रेलवे पास की सुविधा आदि नहीं मिलेगी।

11. **<u>मध्यस्थता</u>**:

पार्टियों के बीच किसी मतभेद, विवाद या इस करार के अधीन या उससे संबंधित किसी प्रकार के दावे की स्थिति के लिए करार में मानक मध्यस्थता खण्ड की व्यवस्था की जाएगी।

*****